

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 2027 / 2016 / भरतपुर.

सहायक आयुक्त, वृत-प्रतिकरापवंचन, भरतपुर. ....अपीलार्थी.  
बनाम

मैसर्स शिवशक्ति ऑयल इण्डस्ट्रीज, भरतपुर. ....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 2029 / 2016 / भरतपुर.

सहायक आयुक्त, वृत-प्रतिकरापवंचन, भरतपुर. ....अपीलार्थी.  
बनाम

मैसर्स सूरजमल निरंजनलाल इण्डस्ट्रीज, डीग, भरतपुर. ....प्रत्यर्थी.

3. अपील संख्या – 2034 / 2016 / भरतपुर.

सहायक आयुक्त, वृत-प्रतिकरापवंचन, भरतपुर. ....अपीलार्थी.  
बनाम

मैसर्स राम इण्डस्ट्रीज (ऑयल सेक्शन), भरतपुर. ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री ओ. पी. गुप्ता, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20 / 02 / 2017

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये तीनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 121, 144 व 122 / सीएसटी / 2015-16 / अ.प्रा. / भरतपुर में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 20.04.2016 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत-प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारीगण की आलौच्य अवधि वर्ष 2009-10 के लिये पारित किये गये आदेश क्रमशः दिनांक 14.05.2015, 14.05.2015 व 11.06.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, शास्ति के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये हैं।

2. चूंकि तीनों अपीलों के तथ्य व विवादित बिन्दु सदृश्य हैं। अतः तीनों प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

लगातार.....2

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारीगण की आलौच्य अवधि वर्ष 2009-10 के लिये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 सपठित वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत आदेश पारित करते हुए पाया गया कि प्रत्यर्थीगण द्वारा कोलकाता, पश्चिम बंगाल के व्यवहारियों को 'सी' फॉर्म के जरिये माल का विक्रय किया गया है, उक्त घोषणा पत्र 'सी' जांच की जाने पर बोगस पाये गये। वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों द्वारा कोलकाता जाकर भी जांच की गयी, जिनमें पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उक्त घोषणा पत्र जारी नहीं किया बताया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारियों द्वारा मिथ्या/बोगस घोषणा पत्र 'सी' से माल का विक्रय किया जाना दर्शाये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारियों के कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए मिथ्या घोषणा पत्रों से बिक्रीत माल पर अन्तर कर, ब्याज एवं करापवंचन की मंशा के कारण वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

अपील संख्या	प्रपत्र 'सी' की विक्रय राशि	आरोपित		
		अन्तर कर	ब्याज	शास्ति
1	2	3	4	5
2027 / 16	63,56,800 / -	1,27,136 / -	70,769 / -	2,54,272 / -
2029 / 16	39,12,438 / -	78,250 / -	53,771 / -	1,56,500 / -
2034 / 16	1,29,18,200 / -	2,58,364 / -	1,16,606 / -	5,16,728 / -

4. प्रत्यर्थीगण द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अन्तर कर व ब्याज की पुष्टि की गई तथा शास्ति के बिन्दु पर जांच की जाकर पुनः आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर राजस्व द्वारा ये अपीलें पेश की गई हैं।

5. बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थीगण द्वारा मिथ्या घोषणा पत्र 'सी' के समर्थन से माल विक्रय किया जाना दर्शाये जाने में स्पष्ट रूप से करापवंचन किया गया है, जिसके लिये वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों

एवं विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए शास्ति को अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारीगण के समस्त संव्यवहारों का इंड्राज उनकी लेखा-पुस्तकों में किया हुआ था। किसी प्रकार का संव्यवहार दस्तावेजों से छिपाया नहीं गया है। विद्वान अभिभाषक ने माननीय उच्चतम न्यायालय के श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तामिलनाडू के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 26 टैक्स अपडेट 01 के न्यायिक दृष्टान्त का हवाला देते हुए कथन किया कि विक्रय संव्यवहार लेखा-पुस्तकों में इंड्राजित होने की अवस्था में धारा 61 के तहत शास्ति आकर्षित नहीं होती है। जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति के बिन्दु पर जांच उपरान्त पुनः आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य हैं।


7. हस्तगत प्रकरणों में मुख्य विवाद बिन्दु यह है कि वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपणीय है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा विस्तृत विवेचन करते हुए प्रकरण पुनः जांच किये जाने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया है कि -

“नियमानुसार यह व्यवसायी की ही जिम्मेदारी है कि वह विधिक घोषणा पत्र पेश करे किंतु ऐसा न करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा अन्तर कर व उस पर ब्याज आरोपित किया जाना पूर्णतः सही पाया जाता है अतः कर व ब्याज की सृजित मांग को यथावत रखा जाता है किंतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सत्यापन कराया जाकर केवल सी फार्म को bogus पाया गया है किन्तु संव्यवहार को bogus प्रमाणित नहीं किया गया है व न ही Consignee द्वारा ऐसा कहा गया है कि माल उसके द्वारा प्राप्त ही नहीं किया गया है सम्बन्धित राज्य द्वारा केवल यह कहा गया है कि यह 'C' Forms वहाँ के विभाग द्वारा वहाँ के उक्त व्यवसायी को जारी नहीं किया गया है किन्तु यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त व्यवसायी द्वारा माल मंगाया गया था या नहीं व माल उस तक पहुँचा था या नहीं व संव्यवहार का गन्तव्य सही घोषित किया गया है या नहीं। यदि सम्बन्धित संव्यवहार नहीं किया जाना पाया गया है उस स्थिति में ही शास्ति आकर्षित होती है अन्यथा नहीं। अतः निर्देश दिये जाते हैं कि bogus सी फार्म के संव्यवहार सत्यापित किए जाए व bogus पाए जाने पर ही धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित की जाए। लिहाजा, कर व

लगातार.....4

ब्याज की मांग को यथावत रखते हुए केवल शास्ति के बिंदु पर प्रतिप्रेषण किया जाता है व संब्यवहार bogus पाए जाने की स्थिति में ही शास्ति आरोपित की जाए व संब्यवहार यदि bogus प्रमाणित न हो तो जमा-खर्च के आधार पर शास्ति के बिंदु को drop करने का आदेश (as appeal effect u/r 35) पारित किया जाए। Meanwhile, कर व ब्याज की राशि वसूली योग्य बनी रहेगी व यदि व्यवसायी द्वारा यह राशि पूर्व में जमा नहीं करा दी गई हो तो कर निर्धारण अधिकारी वसूली के लिए स्वतंत्र हैं।”

8. इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा अन्तर कर व ब्याज की पुष्टि करने के उपरान्त सम्पूर्ण जांच के पश्चात् शास्ति के बिन्दु पर पुनर्विचार हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये हैं, जिनमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।
9. परिणामस्वरूप, अपीलीय आदेशों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं होने से राजस्व द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।
10. निर्णय सुनाया गया।

  
( खेमराज )  
अध्यक्ष